भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 524
उत्तर देने की तारीख: गुरुवार, 23 जुलाई, 2026
1 श्रावण, 1948 (शक)

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और अनुरक्षण

524. **श्री रामजी लाल सुमन**:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित, सुरक्षित, अन्वेषित और अनुरक्षित मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या कितनी है और इसके द्वारा कितने धार्मिक स्थलों का देखरेख किया जाता है;
(ख) क्या देश में धार्मिक स्थलों और मंदिरों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में चिन्हित कमियों के संबंध में वास्तविक स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में धार्मिक स्थलों सहित 3688 केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक हैं जो देश में अनुरक्षित, संरक्षित, अन्वेषित और परिरक्षित हैं।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल मूर्त सांस्कृतिक स्थलों से संबंधित कार्य करता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/स्थलों के रूप में घोषित किया गया है।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसी भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अनुसंरक्षण, अनुरक्षण और रखरखाव नहीं करता है।

(ख): देश में धार्मिक स्थलों और मंदिरों की संख्या का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग):धार्मिक स्थलों सहित सभी 3688 स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण और दैनिक रखरखाव, आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।इन स्मारकों के प्रबंधन में कोई कमी नहीं है और वे भली-भांति परिरक्षित हैं।

*****